कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.06.2026

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक स्कर्पियो से 04 राशि गोवंश बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

□पुलिस टीम को कुचलकर भागने की कोशिश नाकाम, स्कॉर्पियो समेत दो तस्कर दबोचे गए

□अभियुक्त किशन के विरुद्ध पूर्व में गोवंश तस्करी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है अभियोग।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम नौबतपुर, नौबतपुर तिराहा एनएच 02 हाईवे के उत्तरी लेन के पास चेकिंग के दौरान एक वाहन सं0 UP14 BW 3477 स्कर्पियो बरामद से 04 राशि गोवंश (एक राशि गाय, तीन राशि बैल) तथा एक चापड़ को बरामद कर 02 शातिर गौ-तस्करो को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा नौबतपुर तिराहा के समीप एनएच-2 हाईवे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन संख्या चन्दौली की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च एवं हाथ के संकेत से वाहन रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु वाहन चालक एवं उसके साथ बैठे व्यक्ति द्वारा वाहन को तेज गति से पुलिस बल की ओर बढ़ाते हुए कुचलकर भागने का प्रयास किया गया। इसी दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लोहे की रेलिंग एवं डिवाइडर से टकराकर रुक गई। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबंदी कर वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकडे गए व्यक्ति की पहचान चालक किशन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी नरईली थाना दुर्गावती जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार, व दिनेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी आराजी ईसोपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के रुप में हुई। अभियुक्त किशन यादव के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹700 नकद तथा अभियुक्त दिनेश यादव के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड बरामद हुआ। स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP14 BW 3477 की तलाशी लेने पर चालक सीट के पीछे से एक चापड़ बरामद किया गया। वाहन के पीछे बने केबिन की तलाशी लेने पर कुल 04 राशि गोवंश बरामद हुए।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 198/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम, 109, 3(5) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त गोवंशों को जौनपुर जनपद से लाकर बिहार ले जा रहे थे, जहां उन्हें गोविन्द सिंह नामक व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना था। इसके बदले उन्हें प्रति खेप सात-सात हजार रुपये प्राप्त होते थे। अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस चेकिंग देखकर पकड़े जाने के भय से उन्होंने वाहन को तेज गति से भगाने एवं पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.किशन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी नरईली थाना दुर्गावती जिला कैमूर (भभुआ) बिहार

2.दिनेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी आराजी ईसोपुर थाना खानपुर जिला गाजीपुर उ0प्र0

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 198/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम, 109 , 3(5) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त किशन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी नरईली थाना दुर्गावती जिला कैमूर (भभुआ) बिहार

1.मु.अ.सं 152/2021 धारा 3/5/5बी/8गोवध निवारण अधि, 11 पशु क्ररता अधि. व 120-B, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना बबुरी जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं 93/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्स्टर अधि. थाना बबुरी जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं 379/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भा,द.वि . थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

<u>बरामदगी विवरण-</u>

1.01 चापड़

2.एक वाहन सं0 UP14 BW 3477 स्कर्पियो

3.04 राशि गोवंश (एक राशि गाय, तीन राशि बैल)

4.02 एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 700 रुपये नगद

□फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की भूमि हड़पने वाले शातिर जालसाज को धानापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

□भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, लाखों रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप।

घटना-

वादिनी लक्ष्मीना देवी पत्नी मुकेश खरवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/26 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे अभियुक्त शहामुद्दीन शेख पुत्र मजीद शेख द्वारा वादिनी को विश्वास मे लेकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अरशद पुत्र शम्सुद्दीन ग्राम पुरा चेता दूबे थाना धानापुर जनपद चन्दौली के नाम पर स्वयं को उसके स्थान पर खड़ा कर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री किया तथा दूसरी रजिस्ट्री अपने छोटे भाई जसिमुद्दीन शेख पुत्र मजीद शेख का भी फर्जी कागजात तैयार व मूल मालिक बनाकर रजिस्ट्री किया है जिसमें इसके द्वारा चार लाख व दूसरे भाई द्वारा 8.5 लाख लिया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धानापुर त्रिवेणी लाल के नेतृत्व में थाना धानापुर द्वारा मु0अ0सं0 63/26 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शहामुद्दीन शेख पुत्र मजीद शेख निवासी ग्राम हरिशपुर थाना पाइको जनपद वीरभूमि पश्चिम बंगाल को मुखबिर की सूचना पर सकरारी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शहामुद्दीन शेख पुत्र मजीद शेख निवासी ग्राम हरिशपुर थाना पाइको जनपद वीरभूमि पश्चिम बंगाल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 63/2026 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली